

MAIL/FAX

पत्र संख्या—३/कृ. बजट—आवंटन—३०/२०१६—

प्रेषक,

बिहार सरकार
कृषि विभाग

१९५ आवंटन/कृ. पटना, दिनांक १०/३/ २०१७

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

विषय :

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष २०१६—१७ के लिए केन्द्रांश मद में ३०७३.६६८ लाख रु० (तीस करोड़ तेहतर लाख छियासठ हजार आठ सौ रु०) एवं राज्यांश मद में २४०६.११२०० लाख रु० (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रु०) कुल ५४७९.७८ लाख रु० (चौबीन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अंतर्गत निकासी हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से केन्द्रांश—१३८७.०७ लाख रु० एवं राज्यांश—९२४.७१ लाख रु० कुल २३११.७८ लाख रु० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹२३,११,७८,००० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—११०१ दिनांक—०८.०३.२०१७ द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष २०१६—१७ के लिए केन्द्रांश मद में ३०७३.६६८ लाख रु० (तीस करोड़ तेहतर लाख छियासठ हजार आठ सौ रु०) एवं राज्यांश मद में २४०६.११२०० लाख रु० (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रु०) कुल ५४७९.७८ लाख रु० (चौबीन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अंतर्गत निकासी हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से केन्द्रांश—१३८७.०७ लाख रु० एवं राज्यांश—९२४.७१ लाख रु० कुल २३११.७८ लाख रु० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹२३,११,७८,००० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹२३,११,७८,००० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹११,६९,३०,००० (ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "२४०१—फसल कृषि कर्म—उप मुख्यशीर्ष—००—लघु शीर्ष—१०९—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—मांग संख्या—१— उपशीर्ष—०२१७—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड—९१४४ विपत्र कोड—P2401001090217, विषयशीर्ष—३१ ०६—सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष २०१६—१७ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹२३,११,७८,००० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹२,१७,७७,००० (दो करोड़ सतरह लाख सतहत्तर हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "२४०१—फसल कृषि कर्म—उप मुख्यशीर्ष—००—लघु शीर्ष—७८९—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—मांग संख्या—१— उपशीर्ष—०२३६—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड—९१४४ विपत्र कोड—P2401007890236, विषयशीर्ष—३१ ०६—सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष २०१६—१७ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹२३,११,७८,००० (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹७,७९,५३,००० (सात करोड़ उनासी लाख तिरपन हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "२४०१—फसल कृषि कर्म—उप मुख्यशीर्ष—००—लघु शीर्ष—१०९—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—मांग संख्या—१— उपशीर्ष—०३१७—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड—९१४४ विपत्र कोड—P2401001090317, विषयशीर्ष—३१ ०६—सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष २०१६—१७ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹23,11,78,000 (तेईस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹1,45,18,000 (एक करोड़ पैंतालीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0336-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9144 विपत्र कोड-P2401007890336, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

7. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 10/3/ 2017

ज्ञापांक 195 आवंटन

प्रतिलिपि : 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 10/3/ 2017

ज्ञापांक 195 आवंटन

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शब्द) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (शब्द) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन/उप निदेशक (शब्द) बीज बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शब्द)/अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना / सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)/प्रशास्त्रा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 10/3/ 2017

ज्ञापांक - 195 आवंटन

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शब्द), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वैबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।